सामान्य निर्देश– बेसिक ट्यूशन टीचर BTT

1.शैक्षिक योग्यता :–

- ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे जो जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वह उसी राज्य के निवासी हों। आवेदन भरने से पूर्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

  नोट :– यदि प्राप्त की गयी प्रशिक्षण योग्यता यदि हो तो भरें। (अन्यथा खाली छोड़ दें)

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बी0एड0, बी0टी0सी0, बी0पी0एड0, डी0एड0, जे0बी0टी0, एन0टी0टी0, पी0टी0टी0 तथा चयन हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हों। उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी। और उनके लिये 25ः सीटें सुरक्षित रखी जायेगी। इन 25ः सीटों में 50ः पुरूष व 50ः महिलाओं का चयन किया जायेगा।

2.आयु :–

- अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जुलाई 2018 से की जायेगी। इस हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष है।

3.आरक्षण :–

- भारत सरकार व राज्य सरकार के विधिमान आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचितजनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी जायेगी।
- विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी।

4.आवेदन शुल्क :–

- ऑन लाइन आवेदन पत्र शुल्क हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आवेदन शुल्क की धनराशि 250/–तथा अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क 450/– होगा एवं विकलांग अभ्यर्थियों से 50/–आवेदन शुल्क लिया जायेगा।शुल्क भुगतान के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नही होगा।

5.मानदेय :–

- बेसिक ट्यूशन टीचर का न्यूनतम मानदेय प्रतिमाह 10500/–देय होगा।
- बेसिक ट्यूशन टीचर के मानदेय का भुगतान ई0आर0डी0ओ0 की राज्य /राष्ट्रीय स्तरीय मुख्य शाखा से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जायेगा।
- बेसिक ट्यूशन टीचर की उपस्थिति/अनुपस्थिति अवकाश के आधार पर जो व्यवस्था नियमित शैक्षिक हेतु लागू है प्रत्येक माह राज्य स्तरीय ई0आर0डी0ओ0 शाखा द्वारा सीधे बेसिक ट्यूशन टीचर के खाते में मानदेय भेजा जायेगा। किसी भी परिथिति में बेसिक ट्यूशन टीचर का मानदेय भुगतान चैक/नकद से नहीं किया जायेगा।

6.कार्यकालः—

- ई0आर0डी0ओ0 के तहत बेसिक ट्यूशन टीचर का कार्यकाल 11 माह का होगा एवं किसी भी शैक्षिक सत्र में 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगा। बेसिक ट्यूशन टीचर 31 मई तक मानदेय होगा।

- बेसिक ट्यूशन टीचर के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष समाप्त होने से कम से कम एक माह पूर्व प्रारम्भ की जायेगी एवं सचिव/अध्यक्ष की अनुमति से अगले शैक्षिक सत्र के लिए नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

- गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में यदि सेवा समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो (ई0आर0डी0ओ0) जिला शिक्षा नियंत्रक द्वारा पुष्ट प्रमाणों सहित स्वतः प्रस्तावित सचिव (ई0आर0डी0ओ0) को प्रस्तुत किया जायेगा। सेवा समाप्ति हेतु निर्गत आदेश सचिव ई0आर0डी0ओ0 के अनुमोदन के उपरान्त ही मान्य होगा।

7.अवकाश :—

- बेसिक ट्यूशन टीचर को वर्ष में अधिकतम 11 निद का आकस्मिक अवकाश देय होगा।

- अनाधिकृत अनुपस्थित पर मानदेय देय नहीं होगा।

- चेतावनी के उपरान्त भी अनाधिकृत अनुपस्थित पाये जाने पर (ई0आर0डी0ओ0) जिला शिक्षा नियंत्रक द्वारा सेवा समाप्ति पर भी विचार किया जा सकेगा।अन्तिम निर्णय (ई0आर0डी0ओ0)विभाग का होगा।

8. प्रशिक्षण :—

- बेसिक ट्यूशन टीचर की तैनाती के उपरान्त अभ्यर्थियों को 3 माह के (टी0टी0सी0) प्रशिक्षण से गुजरना होगा।प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्टाईपेड) देय नहीं होगा।

- उर्पयुक्त सभी पदोंके लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है। उक्त योग्यता पूर्ण कर रहें अभ्यर्थियों को यह प्रशिक्षण ''शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन'' द्वारा कराया जायेगा।

- प्रशिक्षण अवधि में ई0आर0डी0ओ0 केन्द्रों व विद्यालयों में संचालित विषय गणित, विज्ञान, अंग्रेजी—शिक्षा के पाठ्यक्रम का उन्हें विधिवत प्रशिक्षण दिया जायेगा।

9.चयन प्रक्रिया :—

- ई आर डी ओ 2018 हेतु चयन मेरिट के अधार पर किया जयेगा । अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित अवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व् स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुए श्रेष्ठता सूचि तैयार कि जाएगी तथा वरीयताक्रम में वर्ग / श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जायगी । गुणांक के आगणन प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंको में पूर्णांकित (round off) किया जायेगा । चयन के समय यदि एक ही वर्ग / श्रेणी के दो अभ्यार्थी के गुणांक बराबर आते है तो अधिक आयु वाले अभ्यार्थी को वरीयता दी जाएगी । गुणांक तथा आयु भी सामान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यार्थी के नाम अनुसार वरीयता दी जाएगी ।

10.बेसिक ट्यूशन टीचर का कर्तव्य एवं दायित्व :—

- बेसिक ट्यूशन टीचर अपने शिक्षण कार्य के दायित्वों का निवर्हन सम्बन्धित ई0आर0डी0ओ0 केन्द्रों व विद्यालयों में जिला शिक्षा नियंत्रक/ ब्लॉक शिक्षा नियंत्रक ई0आर0डी0ओ0 के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में करेंगे।

- ई0आर0डी0ओ0 विभाग के अधिकारियों द्वारा ई0आर0डी0ओ0 केन्द्रों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण में बेसिक ट्यूशन टीचर अपने कर्तव्य दायित्व के उत्तरदायी होंगे।

- सम्बन्धित विषयों के बेसिक टृयूशन टीचर कक्षा 1–8 के छात्र/छात्राओं को भारत के समस्त राज्यों द्वारा गठित (बेसिक शिक्षा परिषद व शिक्षा बोर्ड)द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पढ़ायेंगे।

<u>बेसिक ट्यूशन टीचरों की चयन प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु निम्नलिखित समयवद्ध कार्यक्रय निर्धारित किया जाता है।</u>

1	शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा दी गयी विज्ञापन की तिथि से रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होगा	16-09-2018
2	(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि (ख) ऑनलाइन विवरण पुस्तिका शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	18-10-2018 18-10-2018
3	ई0आर0डी0ओ0 पर मैरिट सूची http//:www.erdo.in पर उपलब्ध करा दी जायेगी।	